

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/420/

जबलपुर, दिनांक 01/02/2020

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में निम्नांकित तालिका अनुसार चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश का उपभोग करने एवं कारण बताओ नोटिस में दिये गये निर्देशानुसार स्पष्टीकरण/चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित दिनांकों का अवैतनिक स्वीकृत किया गया है।

| क्र. | नाम एवं पद | अवैतनिक दिनांक |
|------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री कुमार गौरव शर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट | दिनांक 20.11.19 एक दिन |
| 2 | श्री लाल बहादुर थापा, कोर्ट अटेंडेन्ट | दिनांक 06 से 08.12.19 तक तीन दिन |
| 3 | श्रीमती ममता दास, कोर्ट अटेंडेन्ट | दिनांक 09.12.19 एक दिन |
| 4 | श्री शिव नारायण बलोटिया, कोर्ट अटेंडेन्ट | दिनांक 09, 10 एवं 16.12.19 तीन दिन |

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/421/

जबलपुर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. एओ. (जे) लेखा / पेशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुरितका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री कुमार गौरव शर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री लाल बहादुर थापा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री ममता दास, कोर्ट अटेंडेन्ट, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री शिव नारायण बलोटिया, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिटवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)